सरकार बनाम भंवरलाल
दाण्डिक प्रकरण संख्या : 741/2016
एनसीवी नम्बर 5808/2016
निर्णय दिनांकः 29.07.2026

क

न्यायालय– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी	::	**भानुप्रिया सेहरा, आर0जे0एस0**
निर्णय दिनांक	::	**29.07.2026**
मुकदमा नम्बर	::	**741/2016**
एनसीवी नम्बर	::	**5808/2016**
एफआईआर नम्बर	::	**78/2015, पुलिस थाना दूदू**

अभियोगी	राजस्थान सरकार
द्वारा प्रस्तुत	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	(1) भंवरलाल पुत्र श्री झूथाराम, निवासी गिरधारीपुरा, पुलिस थाना बगरू, जिला जयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत महलां, पुलिस थाना दूदू, जिला जयपुर।
अधिवक्तागण अभियुक्तगण	श्री मंजूर अली व श्री नसीमुलहक

ख

अपराध की दिनांक	17.01.2015
एफ.आई.आर. की दिनांक	16.03.2015
प्रसंज्ञान लिए जाने की दिनांक	09.09.2016
आरोप विरचना की दिनांक	01.02.2018
साक्ष्य आरम्भ की दिनांक	20.03.2018
दिनांक, जिस पर निर्णय सुरक्षित रखा जाता है	29.07.2026
निर्णय का दिनांक	29.07.2026
दण्डादेश, यदि कोई, की दिनांक	–

अभियुक्तगण की सूचना

क्र. सं.	नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहाई की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त/ दोषसिद्ध	अधिरोपित सजा	धारा 428 के प्रयोजन के लिए परीक्षण के दौरान भुगती निरोध अवधि
1	भंवरलाल पुत्र श्री झूथाराम	–	–	420, 467, 468, 471, 193 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	–	–

भाग – 2

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	पी.डब्ल्यू. 1 दुलीचन्द	मुख्य गवाह
2.	पी.डब्ल्यू. 2 रामगोपाल मीणा	मुख्य गवाह
3.	पी.डब्ल्यू. 3 प्रदीप कुमार माथुर	मुख्य गवाह
4.	पी.डब्ल्यू. 4 हरि यादव	शिकायतकर्ता
5.	पी.डब्ल्यू. 5 रणजीत सिंह	मुख्य गवाह

6.	पी.डब्ल्यू. 6 गोपालसिंह	मुख्य गवाह
7.	पी.डब्ल्यू. 7 सीताराम	मुख्य गवाह

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची समर्थन

क. अभियोजन :

अनु. क्र.	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1.	प्रदर्श पी 1	नाम निर्देशन पत्र
2.	प्रदर्श पी 2	शपथ पत्र
3.	प्रदर्श पी 3	प्रगति पत्र की प्रमाणित छाया प्रति
4.	प्रदर्श पी 4	निर्वाचन का प्रमाण पत्र
5.	प्रदर्श पी 4	प्रमाण पत्र
6.	प्रदर्श पी 5	विद्यालय में सातवीं कक्षा में प्रवेश पत्र की प्रमाणित प्रति
7.	प्रदर्श पी 6	कक्षा सातवीं की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति
8.	प्रदर्श पी 6	नव जीवन केन्द्र हैप्पी स्कूल जयपुर द्वारा थानाधिकारी को लिखा गया पत्र
9.	प्रदर्श पी 7	विद्यार्थी प्रवेश पंजीका की प्रमाणित प्रति
10.	प्रदर्श पी 7	नव जीवन केन्द्र हैप्पी स्कूल जयपुर द्वारा थानाधिकारी को लिखा गया पत्र
11.	प्रदर्श पी 8	प्रवेश शुल्क की रसीद की प्रमाणित प्रति
12.	प्रदर्श पी 9	एस.आर. रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
13.	प्रदर्श पी 10	कक्षा सातवीं व आठवीं का हाजरी रजिस्टर की प्रमा. णित प्रति
14.	प्रदर्श पी 10	इस्तगासा
15.	प्रदर्श पी 11	चाकशुदा एफआईआर
16.	प्रदर्श पी 11	फर्द जप्ती एक असल मार्कशीट व एक टी.सी.

:: निर्णय :: **दिनांक : 29 जुलाई, 2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी हरि द्वारा एक परिवाद विरूद्व आरोपी भंवरलाल व मदनलाल टेपण न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू जिला जयपुर में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि परिवादी ग्राम गिरधारीपुरा, ग्राम पंचायत महलां,

तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर का मतदाता है एवं जनवरी, 2015 में सम्पादित ग्राम पंचायत चुनावें में सरपंच हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया था। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सरपंच हेतु निर्वाचन फार्म भरने की अर्हता 8वीं पास निर्धारित की थी अर्थात वही व्यक्ति सरपंच बनने हेतु सरपंच का नाम निर्देशन पत्र भरने हेतु अर्हत था, जिसने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। भंवरलाल पुत्र झूंथालाल ने ग्राम पंचायत महलां के सरपंच हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा नाम निर्देशन पत्र के उपाबन्ध प्रथम के कॉलम संख्या 8 में अपनी शैक्षणिक योग्यता नवजीवन केन्द्र हैप्पी स्कूल गणगौरी बाजार जयपुर बतायी है। दिनांक 26.02.2015 को सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मिली है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रानुसार श्री गिरजेस सिंह चैम्बर 0 110 सिविल कोर्ट जयपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई सूचना के अनुसार यह तथ्य जानकारी में आया कि भंवरलाल ने दिनांक 15.07.1974 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय गाड़ोता में कक्षा 7 में प्रवेश लिया है, जो व्यक्ति वर्ष 1974 में कक्षा 7 में प्रवेश लेगा, वह व्यक्ति 1974 में ही सातवीं कक्षा पास कर पायेगा, 1974 में 7वीं कक्षा पास करने के पश्चात् 1975 में 8वीं कक्षा पास कर पायेगा। उपरोक्त दोनों शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का समग्र अवलोकन किया जावे तो राजकीय माध्यमिक विद्य ालय गाड़ोता द्वारा जारी प्रमाण पत्र के परिप्रेक्ष्य में मॉर्डन हैप्पी स्कूल का प्रमाण पत्र पूर्णतया झूठा हो जाता है। इस प्रकार अभियुक्त संख्या 1 व 2 ने जानबूझकर राज्य सरकार के नियमों की अनदेखी कर नाम निर्देशन पत्र के कॉलम संख्या 5 में जो सूचना दी है, वह सूचना पूर्णतया गलत है तथा उक्त सूचना के समर्थन में जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं, वह भी पूर्णतया कपोल कल्पित है। नवजीवन केन्द्र हैप्पी स्कूल के तत्तकालीन प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित प्रगति पत्र भंवरलाल ने प्रस्तुत किया है, वह प्रगति पत्र पूर्णतया कपोल कल्पित है एवं प्रथमदृष्टया ही फर्जी प्रतीत होता है, क्योंकि नवजीवन केन्द्र हैप्पी स्कूल के प्रधानाचार्य ने ईरादतन भंवरलाल को फायदा पहुंचाने की नियत से फर्जी अंकतालिका प्रस्तुत करवायी है, इसलिये मदनलाल भी अन्य अभियुक्तगण के साथ अपराध में सहभागी है। मदनलाल ने नाम निर्देशन पत्र में गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये हैं, तथा

उसे भी इस बात की भलीभांति जानकारी थी कि भंवरलाल द्वारा जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, वह पूर्णतया फर्जी है, वास्तविकता यह है कि भंवरलाल 8वीं पास नहीं है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भंवरलाल के नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है तथा चुनाव में विजय प्राप्त की है। उक्त परिवाद पर परिवादी को सुनने के उपरांत न्यायालय द्वारा अनुसंधान हेतु परिवाद धारा 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत संबंधित थाने में पेश किया गया। जिस पर अभियुक्त के खिलाफ पुलिस थाना दूदू द्वारा अभियोग संख्या 78/2015 अंतर्गत धारा 193, 419, 420, 467, 468, 120बी भारतीय दण्ड संहिता दर्ज अनुसंधान प्रारम्भ किया व बाद अनुसंधान अभियुक्त भंवरलाल के विरुद्ध धारा 193, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर दिनांक 09.09.2016 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 193, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता में पर्याप्त आधार पाये जाने पर प्रसंज्ञान लिया जाकर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया।

2. बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 01.02.2018 को अभियुक्त भंवरलाल को धारा 420, 467, 468, 471, 193 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए एवं समझाए गए जिस पर अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

3. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 1 दुलीचन्द, पी.डब्ल्यू. 2 रामगोपाल मीणा, पी.डब्ल्यू. 3 प्रदीप कुमार माथुर. पी.डब्ल्यू. 4 हरि यादव पी.डब्ल्यू. 5 रणजीत सिंह, पी.डब्ल्यू. 6 गोपालसिंह, पी.डब्ल्यू. 7 सीताराम को परीक्षित कराया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज नाम निर्देशन पत्र प्रदर्श पी–1, शपथ पत्र प्रदर्श पी–2, प्रगति पत्र की प्रमाणित छाया प्रति प्रदर्श पी–3, निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–4, प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–4, विद्यालय में सातवीं कक्षा में प्रवेश पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–5, कक्षा सातवीं की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–6, नव जीवन केन्द्र हैप्पी स्कूल जयपुर द्वारा थानाधिकारी को लिखा गया पत्र प्रदर्श पी–6, विद्यार्थी प्रवेश पंजीका की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–7, नव जीवन केन्द्र हैप्पी स्कूल जयपुर द्वारा थानाधिकारी को लिखा

गया पत्र प्रदर्श पी–7, प्रवेश शुल्क की रसीद की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–8, एस.आर. रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–9, कक्षा सातवीं व आठवीं का हाजरी रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–10, इस्तगासा प्रदर्श पी–10, चाकशुदा एफआईआर प्रदर्श पी–11, फर्द जप्ती एक असल मार्कशीट व एक टी.सी. प्रदर्श पी 11 को प्रदर्शित करवाया गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा चालान के साथ पेश गवाह सूची में अंकित गवाह संख्या 07 को तर्क किया व गवाह संख्या 02, 08 व 11 को तलब करने के पूर्ण प्रयास करने उपरांत भी उक्त गवाहान की तलबी सुनिश्चित न होने पर व प्रकरण के सन् 2015 से लंबित होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए तलबी बंद की गई, जिसके उपरांत साक्ष्य अभियोजन पूर्ण होने के आधार पर समाप्त की गई।

4. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात् अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों द्वारा किये गये कथनों को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष होने एवं प्रकरण में राजनैतिक रंजिश के कारण झूंठा फंसाये जाने का कथन किया व साक्ष्य प्रतिरक्षा न पेश करना जाहिर किया। जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त का साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करने का अवसर समाप्त किया गया।

5. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गयी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विद्वान अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित समस्त गवाहान द्वारा किये गये कथनों के अवलोकन से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित होता है व उपरोक्त आधारों पर अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को उन पर आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा पेश तर्कों के खण्डन में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से यह कथन किया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहन द्वारा किए गए कथन से अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं होता है व

अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों द्वारा किए गए कथनों में गंभीर विरोधाभास है। जिस कारणवश अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराधों का संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है व अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पर आरोपित अपराध हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए। उक्त आधारों पर अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त को उन पर आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत किये गये तर्कों एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के अवलोकन को दृष्टिगत रखते हुए हस्तगत प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न है किः–

- ***"क्या अभियुक्त ने दिनांक 17.01.2015 को ग्राम पंचायत महलां के सरपंच पद के निर्वाचन के लिये रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नाम निर्देशन पत्र में स्वयं को कक्षा 8 उत्तीर्ण होना व उक्त तथ्य के समर्थन में कक्षा 8 बाबत् प्रगति पत्र सन् 1974–75 की नकल संलग्न कर रिटर्निंग अधिकारी को उत्प्रेरित कर स्वयं के पक्ष में निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्रवंचना करते हुये पदत करवाये?***
- ***क्या अभियुक्त द्वारा उक्त दिनांक या उससे पूर्व एक प्रगति पत्र सत्र 1975–75, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र दिनांक 05.07.1975 की रचना नवजीवन केन्द्र हैप्पी स्कूल गणगौरी बाजार जयपुर से जारी कर मूल्यवान प्रतिभूति की कूट रचना की व उक्त दस्तावेजात को छल करने के आशय से असल के रूप में उपयोग में लिया व उक्त संदर्भ में घोषणा पत्र पेश कर मिथ्या तथ्य की घोषणा बाबत् रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष साक्ष्य दी?***
- ***यदि हाँ, तो अभियुक्त किस दण्ड का पात्र है?***

7. उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष द्वारा तर्कों पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण परिवादी द्वारा पेश परिवाद प्रदर्श पी–10 के आधार पर संस्थित हुआ है, जिसमें परिवादी ने अभियुक्त द्वारा सरपंच पद के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष स्वयं को कक्षा 8 उत्तीर्ण होने बाबत् कूटरचित दस्तावेज असल के रूप में उपयोग करते हुये पेश करने व मिथ्या तथ्यों को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष घोषणा पत्र पेश करने का कथन किया है। परिवादी द्वारा पेश परिवाद एवं अनुसंधान की कार्यवाही को साबित करने हेतु अभियोज पक्ष की ओर से

न्यायालय के समक्ष कुल 07 गवाह परीक्षित कराये गये हैं।

8. पत्रावली पर पेश मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन व विश्लेषण किया जाये अभियुक्त पर अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471 व 193 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध हेतु न्यायालय को सर्वप्रथम उक्त तथ्य पर विचारण करना है कि क्या अभियुक्त भंवरलाल द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष आठवीं कक्षा बाबत् जो दस्तावेजात पेश किये थे, वे कूटरचित थे या नहीं। उक्त संदर्भ में यदि पत्रावली का अवलोकन करें तो अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू. 02 रामगोपाल मीणा को परीक्षित कराया है, जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गाड़ोता में सितम्बर, 2005 से 20 जुलाई, 2016 तक अध्यापक के पद पर पदस्थापित थे। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त भंवरलाल जन्म तिथि 20.07.1958 के द्वारा सन् 1974 में राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय से छठी कक्षा पास कर टीसी कटवाकर सन् 1974–75 में राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय गाड़ोता की कक्षा सात में प्रवेश दिया व सन् 1975 में एक जुलाई से चार जुलाई 1975 तक आठवीं कक्षा में उपस्थित रहने का कथन किया है। जिसके उपरांत भंवरलाल के निरंतर अनुपस्थित रहने के कारण भंवरलाल का नाम रजिस्टर से हटाने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा पेश व प्रदर्शित दस्तावेजात के मूल दस्तावेज उनके द्वारा न्यायालय में पेश नहीं किये हैं व भंवरलाल द्वारा आठवीं कक्षा बाबत् कोई प्रवेश पत्र नहीं भरा था, क्योंकि भंवरलाल द्वारा सातवीं कक्षा उन्हीं के स्कूल से पास की थी। उक्त गवाह द्वारा किये गये समस्त कथनों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सन् 1974 में सातवीं कक्षा पास कर ली थी व वे सन् 1975 में 1 जुलाई से 4 जुलाई हेतु कक्षा आठवीं के छात्र के रूप में विद्यालय में उपस्थित रहे, परंतु मात्र उक्त तथ्यों के आधार पर हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत दस्तावेज प्रदर्श 03 का कूटरचित होने का तथ्य साबित नहीं होता। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त गवाह द्वारा किये गये कथनों के परिप्रेक्ष्य में यदि पत्रावली पर पेश अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया जावे तो प्रदर्श पी 07 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि भंवरलाल नामक व्यक्ति का नाम 17.07.1974 में अनुपस्थित रहने के आधार पर पृथक कर दिया गया था जिससे गवाह पी.डब्ल्यू. 02 द्वारा मुख्य परीक्षण में अभियुक्त कि सन् 1975 में अनुपस्थित रहने के आधार

पर नाम पृथक करने के तथ्य पर संदेह उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त यदि प्रदर्श पी 07 की पुष्ट का अवलोकन किया जाये तो उक्त पुष्ट पर भी अंकन में परिवर्तन किया जाना प्रथमदृष्ट्या प्रतीत होता है जिसके परिमाणमस्वरूप में गवाह पी.डब्ल्यू. 02 द्वारा किये गये कथनों पर संदेह उत्पन्न होता है। उक्त गवाह के अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा पेश आठवीं कक्षा का प्रगति पत्र कूटरचित होने के तथ्य को साबित करने हेतु गवाह पी.डब्ल्यू. 03 प्रदीप कुमार माथुर को परीक्षित कराया गया, जिनके द्वारा अपने सशपथ बयानों में सन् 1985 से 1993 तक नवजीवन केन्द्र हैप्पी स्कूल का संचालन किया है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में प्रश्नगत दस्तावेज जारी करने के समय विद्यालय का संचालन उनकी नानी द्वारा किये जाने का कथन किया है व विद्यालय का रजिस्ट्रेशन क्रमांक 92/1958–59 होने का कथन किया है व स्पष्ट रूप से यह कथित किया है कि यदि क्रमांक 63/68–69 के द्वारा कोई भी तालिका या टीसी जारी की गई है तो वह पूर्ण रूप से फर्जी एवं गलत है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि सन् 1973–74 में वह संचालक मंडल के सदस्य नहीं थे व 1973–74 में स्कूल का संचालन उनकी नानी द्वारा किया जाता था। उक्त समय मार्कशीट टीसी आदि कौन जारी करता था, इस संदर्भ में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और न ही उक्त अवधि के दौरान स्कूल अध्ययनरत विद्यार्थियों का कोई रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध है। उनके पास 1970 से 1980 तक का भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। 1985 से पूर्व की कोई काउंटर फाइल इत्यादि उनके पास उपलब्ध नहीं है। उक्त गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि टी.सी. मार्कशीट रजिस्ट्रेशन नम्बर आदि सब स्टाफ द्वारा लिखा जाता है व उन्हें 1985 से पूर्व नवजीवन केन्द्र हैप्पी स्कूल के संबंध में कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ। उक्त गवाह द्वारा किए गए कथनों के अवलोकन से यह तो स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत दस्तावेज पर अंकित रजिस्ट्रेशन नम्बर उनके द्वारा संचालित स्कूल के नहीं थे, परन्तु चूंकि उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया है कि सन् 1985 से पूर्व का कोई भी दस्तावेज स्कूल संचालन बाबत् उनके पास उपलब्ध नहीं है। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि 1985 से पूर्व अभियुक्त जारी प्रश्नगत दस्तावेज नवजीवन केन्द्र हैप्पी स्कूल द्वारा जारी किया गया है। जहां तक रजिस्ट्रेशन नम्बर के गलत होने का प्रश्न है तो उक्त संदर्भ में स्वयं गवाह ने यह स्वीकार किया है कि हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत दस्तावेज टी.सी. आदि

स्कूल के स्टाफ के द्वारा जारी की जाती थी, ऐसी स्थिति में इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि स्टाफ कर्मचारी द्वारा गलत रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित किया गया हो व भंवरलाल को उक्त तथ्य के संदर्भ में कोई जानकारी न हो। उपरोक्तानुसार उक्त दोनों ही महत्वपूर्ण गवाहों द्वारा किए गए कथनों से अभियुक्त को प्रश्नगत दस्तावेज के असल न होने के संदर्भ में जानकारी होने का तथ्य संदेह से परे साबित नहीं होता है।

9. उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में यदि अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो अभियुक्त पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता हेतु न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना है कि क्या अभियुक्त का प्रश्नगत दस्तावेज का उपयोग कर किसी प्रकार से प्रवंचना की है या नहीं। उक्त संदर्भ में यदि प्रावधान का एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक दृष्टातों का अवलोकन किया जावे तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत मुकुल तिवारी व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य, 2015 35 आर.सी.आर. (क्रि.) 465 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि – "It is now well settled legal position that in order to constitute an offence of cheating the intention to deceive should be in existence at the time when the inducement was made. It is necessary to show that a person had fraudulent or dishonest intention at the time of making the promise to say that he committed an act of cheating. A mere failure to keep up promise subsequently cannot be presumed as an act of committing cheating, but at the same time it is also well settled legal position that subsequent conduct of the accused is also a relevant factor to infer whether he had fraudulent of dishonest intention at the inception i.e. when the offense was committed."

10. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के प्रतिपादित सिद्धान्तों व अभियुक्त पर आरोपित अपराध के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन पक्ष को ''प्रवंचना'' एवं ''प्रारम्भ से रहे आपराधिक आशय'' के तथ्य को साबित करना अनिवार्य होता है, परंतु अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित उक्त महत्वपूर्ण गवाहों द्वारा किए गए कथनों से अभियुक्त को प्रश्नगत दस्तावेज के असल न होने के संदर्भ में पूर्ण रूप से जानकारी हो यह अभियोजन पक्ष साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष प्रारंभ से ही प्रवंचना करने के

आपराधिक आशय को ही संदेह से परे साबित करने में असफल रहे हैं।

11. उक्त धारा के अतिरिक्त अभियुक्त भवंरलाल पर धारा 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता का भी आरोप आरोपित है। उक्त आरोपों हेतु अभियोजन पक्ष को न्यायालय के विनम्र मत में सर्वप्रथम यह साबित करना था कि अभियुक्त द्वारा किसी ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति की कूटरचना की थी, जिससे वे सरपंच के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष निर्देशन पत्र में स्वयं को आठवीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके होना साबित हो सके। उक्त अपराधों हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू. 02 रामगोपाल मीणा जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गाड़ोता में सन् 2005 से जुलाई 2016 तक अध्यापक के पद पर पदस्थापित थे व गवाह पी.डब्ल्यू. 03 प्रदीप कुमार माथुर जो कि सन् 1985 से 1993 तक नवजीवन केन्द्र हैप्पी स्कूल के संचालक थे, द्वारा किये गये कथनों का अवलोकन किया जावे तो उक्त दोनों ही गवाहों द्वारा किए गए कथनों के समग्र अवलोकन से प्रश्नगत दस्तावेज प्रदर्श पी 03 का कूटरचित होना प्रतीत होता है, परंतु उक्त दोनों की गवाहों द्वारा किए गए कथनों से अभियुक्त भंवरलाल द्वारा किसी प्रकार की कूटरचना की गई हो, यह साबित नहीं होता है। जहां तक कूटरचित दस्तावेज को असल के रूप में प्रयोग करते हुए प्रवंचना करने का प्रश्न है तो उक्त संदर्भ में न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त भंवरलाल को प्रश्नगत दस्तावेजात् के कूटरचित होने के तथ्य पूर्णतः ज्ञात हो व जानकारी के उपरांत उनके द्वारा उक्त प्रश्नगत दस्तावेज का प्रयोग करते हुए स्वयं को आठवीं कक्षा का उत्तीर्ण होना बताया गया। उक्त अपराधों के अतिरिक्त अभियुक्त पर धारा 193 भा.द.सं. का भी आरोप आरोपित है जिसके संदर्भ में यदि पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त भंवरलाल को कूटरचित दस्तोवज की जानकारी होने के तथ्य को संदेह से परे साबित करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर उक्त दस्तावेज को घोषणा मिथ्या तथ्य के आधार पर करने का आरोप भी संदेह से परे साबित करने में असफल रहे हैं। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्त पर आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करना होता है कि परंतु हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध साबित करने में असफल रहा है।

12. अतः प्रकरण में अभियोजन की साक्ष्य एवं उपर्युक्त विवचेन के आधार पर अभियुक्त भंवरलाल के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 193 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाने पर **दोषमुक्त** किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

13. परिणामतः अभियुक्त भंवरलाल पुत्र श्री झूथाराम, निवासी गिरधारीपुरा, पुलिस थाना बगरू, जिला जयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत महलां, पुलिस थाना दूदू, जिला जयपुर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 193 भारतीय दण्ड संहिता में **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(भानुप्रिया सेहरा)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दूदू, जिला जयपुर

14. निर्णय आज दिनांक 29 जुलाई, 2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(भानुप्रिया सेहरा)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दूदू, जिला जयपुर

—0—